Addendum -11
Date: 8th June 2020

Request for ProposalsforSelection of an Agency to Design, Install, Operate and Manage Tracking Management System (TMS) for Helicopters and passengers

Sl. No.	**Queries / Suggestions**	**Response (Addendum / Corrigendum)**
1	Exemption from payment of EMD for NSIC/MSMEregistered companies across the country.	Startups, Micro and Small enterprises outside Uttarakhand state are also exempted from payment of Tender fee and depositing of EMD. (Please refer to Clause No. 4 in page 3 of Uttarakhand Government Order No. 1542/VII-3-19/143-Industry/2003 dated 20th August 2019 annexed)

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः — /VII-3-19/143—उद्योग/2003
देहरादूनः दिनांकः 20 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0—261/VII-2-14/143-उद्योग/2003, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत क्रय वरीयता नीति तथा परिपत्र संख्याः—1314(1)/VII-2-17/143—उद्योग/2003, दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अतिक्रमित करते हुए तथा वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः—126/XXVII(7)32/2007 TC/2019 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के कम में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं के शासकीय उपापन (**Public Procurement**) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् सार्वजनिक उपापन नीति निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः

(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) के लिए क्रय वरीयता नीति—2019" है।

(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. क्रय वरीयता नीतिः

(क) यह नीति उन सूक्ष्म व लघु उद्यमों, स्टार्टप्स पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग विभाग से लघु उद्योग स्थायी पंजीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम—2006 (MSMED Act-2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग—2 (E.M. Part-II) की अभिस्वीकृति अथवा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार प्राप्त किया हो या जिनको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड स्टार्ट—अप कॉउंसिल से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता मिली हो।

उप निदेशक (SD)
उप निदेशक (U)
27/8/19
486
20/8/19

(ख) यदि सार्वजनिक **खरीद/सेवाओं के उपापन** में राज्य सरकार या उसके विभागों/संस्थाओं/निकाय/उपक्रमों द्वारा आई.एस.आई., आई.एस.ओ. अथवा अन्य विशेषिकृत उत्पादों को **खरीदे जाने/सेवाओं के उपापन** की आवश्यकता हो, तो ऐसे उत्पादों के विशिष्टियों एवं मानकों का विवरण निविदा में ही दे दिया जाय, ताकि गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प तथा स्टार्टअप्स सहित) से क्रय वरीयता नीति के अनुसार **सामग्री/सेवाओं का उपापन (Procurement)** किया जा सके। गुणवत्ता/मानकीकरण को दृष्टिगत् रखते हुए निविदा में सहभागी ऐसे उद्यमों के पास राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत प्रादेशीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं के प्रमाण—पत्र होने आवश्यक हैं। इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पाद **तथा सेवाओं** के उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता के आंकलन हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (NSIC) (भारत सरकार का उपक्रम) से उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि निविदा में सहभागी उद्यमों की उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का आंकलन सुनिश्चित हो सके। **योजना के प्रथम वर्ष में** यदि इकाई राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 में पंजीकृत नहीं हुई है और क्षमतांकन नहीं हो सका है, तो इकाई के शपथ पत्र तथा अधिकृत चार्टड इंजीनियर

द्वारा प्रमाणित क्षमतांकन प्रमाण पत्र के आधार पर इकाई को योजनान्तर्गत पंजीकृत किया जा सकेगा, किन्तु पंजीकरण की वैद्यता 1 वर्ष तक ही रहेगी।

(ग) क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, समान, पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(घ) क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प, स्टार्टप्स सहित) को प्रदेश के मध्यम, बृहत तथा प्रदेश से बाहर की सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें न्यूनतम दर (L_1) से अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत हो। परन्तु राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।

(ङ) निविदा में प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित) जिसने L_1+10 प्रतिशत (श्रेणी ए व बी के वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में L_1+15 प्रतिशत) मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां L_1 मूल्य प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित) के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। ऐसे एक से अधिक प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के सहभागी होने पर आपूर्ति को आनुपातिक रूप से (निविदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

(च) सामग्री/सेवाओं के उपापन के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विभाग/संस्थान/उपकम/निकाय के लिये प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित) से न्यूनतम -25 प्रतिशत उपापन करना आज्ञापक (Mandatory) होगा। सूक्ष्म व लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यम से खरीद के लिये 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

(छ) निविदा में दरों की तुलना कर सहित एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी।

3. विनिर्माणक/सेवा प्रदाता आपूर्तिकर्ता उद्यमों का पंजीकरण–

(1) सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विश्वसनीय अधिप्राप्ति के श्रोतों को स्थापित करने हेतु सामग्रीवार पात्र एवं सक्षम विनिर्माणक/सेवा प्रदाता आपूर्तिकर्ता उद्यमों का उद्योग निदेशालय स्तर पर पंजीकरण किया जाएगा। इस प्रकार के पंजीकृत उद्यमों को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा।

(2) विनिर्माणक तथा सेवा प्रदाता आपूर्तिकर्ता उद्यमों को पंजीकृत करने से पूर्व उनकी आम ख्याति/पृष्ठभूमि, विनिर्माण/सेवा प्रदाता क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, आदि का भी सर्तकता से सत्यापन किया जाए।

(3) उद्यमों का पंजीकरण, सामग्री/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर निर्धारित अवधि (1 वर्ष से 3 वर्ष तक) के लिए किया जाएगा। इस निश्चित अवधि के बाद उद्यमों को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(4) नीति के अन्तर्गत ऐसे उद्यमों के पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप, प्रक्रिया व दिशा निर्देश महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

(5) यदि कोई पंजीकृत उद्यम पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री/सेवाओं की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करता है अथवा गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करता है तो उस उद्यम को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की सूची से हटा दिया जाएगा।

4. संव्यवहार लागत में कमी– संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिये सूक्ष्म और लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एवं स्टार्टप्स सहित) को निःशुल्क निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराकर निविदा हेतु निश्चित अग्रिम राशि (ई0एम0डी0) में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी।

5. राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर, विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (Pre-qualification)/मानदण्ड में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा ऑपरेशन्स और उपकरण जहाँ पर विनिर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा व परिचालन का अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो, सालाना टर्नओवर तथा पूर्व अनुभव की शर्त में शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी।

6. शासकीय क्रय का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन समस्त शासकीय विभागों/निगमों/विकास प्राधिकरणों/संस्थानों/निकाय आदि के द्वारा किये जाने वाले सामग्री/सेवाओं के उपापन से होगा।

7. **उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षणः–** विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/संस्थान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध–ख) का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित रखा गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी।

8. सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) के लिये घोषित सार्वजनिक उपापन नीति के प्रभावी कियान्वयन हेतु निगरानी एवं पुनर्विलोकन के लिये मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी, जिसमें प्रमुख साचिव, एम0एस0एम0ई0, सचिव, वित्त के अतिरिक्त महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, निदेशक उद्योग तथा प्रमुख उद्योग संघ के 02 प्रतिनिधि रोस्टर के आधार पर सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। यह समिति क्रय वरीयता नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी तथा उपापन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर उनके समाधान हेतु निर्देश दे सकेगी।

9. सभी शासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष उपापन की जाने वाली सामग्री/वस्तु/सेवाओं की अनुमानित आवश्यकताओं की कुल मात्रा, वस्तु/सेवाओं की मदों का विवरण विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित कर इसकी सूचना महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि शासकीय उपापन में पारदर्शिता के साथ–साथ प्रदेश के उद्यमों को शासकीय विभाग/उपक्रम/निगम/निकाय/संस्थाओं की वार्षिक खरीद/उपापन की आवश्यकताओं के बारे में पूर्व से ही सभी सूचनायें प्राप्त हो सकें।

10. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत सभी सम्बन्धित विभाग सामग्री/सेवाओं का उपापन स्वयं विभागीय प्रतिनिधायन (Delegation of Powers) के आधार पर करेंगे।

11. टर्न–की प्रोजैक्ट्स के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली परियोजनाओं/कार्यों में भी आपूर्तिकर्ता फर्म/क्रियान्वयन संस्था के साथ भी यह शर्त अनिवार्यतः रखी जायेगी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल उपापन की गयी सामग्री/सेवाओं का 25 प्रतिशत उपापन (Procurement) प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों

(कुटीर, खादी एवं स्टार्टप्स सहित) से किया जायेगा। सभी फर्म/संस्था सम्बन्धित विभाग/निगम/निकाय/संस्थान को इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध करायेंगे।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–564/XXVII(7)/2019 दिनांक 13.08.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1542 /VII-3-19/143-उद्योग/2003, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।